भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 989
दिनांक 08.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम के अंतर्गत धनराशि

989. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत सरकार द्वारा स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार जेजेएम के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले पानी की गुणवत्ता की निगरानी कर रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(घ) क्या जेजेएम के तहत बनाए गए बुनियादी ढांचे के लिए कोई रखरखाव योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री राजीव चन्द्रशेखर)

(क) से (ग): भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल का क्रियान्वयन कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। जल राज्य का विषय होने के कारण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

जेजेएम के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आवंटित और उसके द्वारा आहरित जेजेएम निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	(जेजेएम केंद्रीय हिस्सा)	
	आवंटित निधि	आहरित निधि
2019-20	1,206.28	1,513.14
2020-21	2,570.94	1,295.47
2021-22	10,870.50	5,435.25
2022-23	12,662.05	9,496.54
2023-24 (05.02.2024 तक)	20,884.45	18,311.96

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

जेजेएम के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को नल जल सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंडों के रूप में अपनाया गया है।

सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे आवधिक आधार पर जल गुणवत्ता का परीक्षण करें अर्थात रासायनिक और भौतिक मापदंडों के लिए वर्ष में कम से कम एक बार तथा बैक्टीरियोलॉजिकल मापदंडों के लिए वर्ष में दो बार और जहां आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करें।

विश्वसनीय पेयजल परीक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए, देश में विभिन्न स्तरों अर्थात राज्य, जिला, उप-मंडल और/या ब्लॉक स्तर पर 2,118 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मामूली दर पर अपने जल नमूनों के परीक्षण के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं आम जनता के लिए खोली हैं।

ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल के नमूनों के परीक्षण की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया जा सके। जेजेएम के शुभारंभ के बाद से, प्रयोगशालाओं में जल गुणवत्ता के नमूनों का वर्ष-वार परीक्षण 2018-19 में लगभग 40 लाख नमूनों से बढ़कर 2023-24 (05.02.2024 तक) में 61.7 लाख नमूनों से अधिक पर पहुंच गया है। इसी तरह, एफटीके का उपयोग करके जल गुणवत्ता का परीक्षण 2018-19 में लगभग 11 लाख नमूनों से बढ़कर 2023-24 (05.02.2024 तक) के दौरान 1.02 करोड़ जल नमूनों तक पहुंच गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण जेजेएम डैशबोर्ड पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर भी देखा जा सकता है: https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report

जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण में समुदाय को शामिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे गांव स्तर पर फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके)/बैक्टीरियोलॉजिकल शीशियों का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव में 5 व्यक्तियों, अधिमानतः महिलाओं की पहचान करें और उन्हें प्रशिक्षित करें तथा डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल पर इसकी सूचना दें। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 23.68 लाख से अधिक महिलाओं को एफटीके का उपयोग करके जल परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

(घ) और (ङ): जेजेएम कार्यसंबंधी दिशानिर्देश गांव में जल आपूर्ति की अवसंरचना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन और संचालन तथा रखरखाव में समुदाय की भूमिका को महत्व देते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मित जल आपूर्ति अवसंरचना के लिए व्यापक संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) नीति तैयार करने की सलाह दी गई है।

ग्राम पंचायत या उसकी उप-समिति अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह आदि जिसमें कम से कम 50% महिला सदस्य हों, उन्हें गांव में जल आपूर्ति का संचालन और रखरखाव करना आवश्यक है। ओ एंड एम कार्य करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए एक मार्गदर्शिका साझा की गई है। ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति अर्थात वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह, आदि को विभिन्न स्रोतों जैसे कि जेजेएम से प्रोत्साहन निधि, वित्त आयोग अनुदान और आवर्ती शुल्कों को पूरा करने के लिए सामुदायिक योगदान से ओ एंड एम के लिए धन प्राप्त करने के लिए एक खाता खोलने का अधिकार दिया गया है।

*****